SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

सं.एसबी/विपणन/सीएएल/एनएसडब्लियुएस/03/2026-2029/610 **दिनांक :07/08/2026**

शुद्धिपत्र

विषय: दिनांक 15.07.2026 की अधिसूचना, जिसमें राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) के माध्यम से वर्ष 2026-2029 की ब्लॉक अवधि के लिए इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान और नवीनीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं - कुछ प्रावधानों में संशोधन – बाबत ।

***

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा दिनांक 15.07.2026 को प्रकाशित अधिसूचना का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) के माध्यम से ब्लॉक अवधि 2026-2029 के लिए इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान और नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, उसमें निहित कुछ प्रावधानों के संबंध में मौजूदा लाइसेंस प्राप्त नीलामीकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

तदनुसार, दिनांक 15.07.2026 की अधिसूचना के भाग के रूप में निम्नलिखित संशोधनों को पढ़ा जाएगा:

1. नए नीलामीकर्ता लाइसेंसों का अनुदान

अधिसूचना की सामान्य शर्तों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान को शामिल किया जाएगा:

"बोर्ड सर्वप्रथम इस अधिसूचना, इलायची (लाइसेंसिंग एवं विपणन) नियम, 1987 और अन्य लागू प्रावधानों में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर मौजूदा नीलामीकर्ताओं के लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु आवेदनों पर विचार करेगा। इसके बाद, नए नीलामीकर्ता लाइसेंसों के अनुदान हेतु आवेदनों पर विचार केवल प्रचलित नीलामी आगमन पैटर्न, मौजूदा नीलामी अवसंरचना की पर्याप्तता और बोर्ड द्वारा प्रबंधित ई-नीलामी मंच के भीतर नीलामी स्लॉट की उपलब्धता के व्यापक मूल्यांकन के बाद ही किया जाएगा, और केवल तभी जब ऐसा मूल्यांकन मसाला बोर्ड की राय में अतिरिक्त नीलामीकर्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता, परिचालन व्यवहार्यता और जनहित को स्थापित करता हो।"

2. अनुलग्नक II. 2. बैंक गारंटी की आवश्यकता

अधिसूचना में निहित बैंक गारंटी आवश्यकता से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे:
" इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक नीलामीकर्ता लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान मसाला बोर्ड के पक्ष में न्यूनतम बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करेगा और उसे बनाए रखेगा।
इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987, 2018 में संशोधित, के नियम 10.1(ए) के अनुसार, ई-नीलामी के लिए, आवेदक को बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा राशि प्रदान करनी होगी। यह राशि उस ब्लॉक अवधि के

फोन / Phone : 0484 2333610-616, 2347965, 2348417, 2341776
इ-मेइल / Email : mail.sboard@gov.in वेबसाइट / Website : www.indianspices.com

लिए इलायची के औसत नीलामी बिक्री मूल्य के बराबर होगी, जिसके लिए आवेदक नीलामीकर्ता का लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है; यह औसत मूल्य ठीक पहले की तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि में हुई किसी एक नीलामी के आधार पर तय किया जाएगा।"

2. अनुलग्नक 2.6. अवसंरचना संबंधी अपेक्षाओं के प्रावधान निम्नानुसार संशोधित किए जाएंगे:

क) आवेदक को मुख्य गोदाम के लिए पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, वैध अग्नि सुरक्षा अनुपालन प्रमाण पत्र, बीमा कवरेज, सुरक्षा उपाय और स्वच्छता सुविधाएं बनाए रखनी होंगी।

ख) प्रत्येक संग्रहण केंद्र में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखी जाएगी।

ग) प्रत्येक पूलिंग/संग्रह केंद्र ऑनलाइन पूलिंग, ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, फसल रसीद तैयार करने, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ीकरण और अन्य संबंधित डिजिटल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल डिवाइस या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से सुसज्जित होगा।

घ) नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के पास कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए गोदाम, पूलिंग सेंटर और स्टाफ जैसे अलग-अलग बुनियादी ढांचे होने चाहिए और इनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

3. अनुलग्नक III, उप-खंड 5: नीलामी संचालन की विशिष्टता: नीलामीकर्ता, जिसमें उसके प्रमोटर, साझेदार, निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या लाभकारी स्वामी शामिल हैं, किसी भी समानांतर, अनियमित या निजी नीलामी व्यवस्था, व्यापार मंच या इसी तरह के तंत्र में संलग्न नहीं होंगे, उसे बढ़ावा नहीं देंगे या उससे संबद्ध नहीं होंगे, जिसके लिए बोर्ड द्वारा जारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है और जो मसाला बोर्ड की विनियमित नीलामी प्रणाली के साथ टकराव करता है या उसे कमजोर करता है।

4. अनुलग्नक V D.: हितों का टकराव: आवेदक, मसाला बोर्ड से नीलामीकर्ता लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, किसी भी अनधिकृत, समानांतर या अनियमित नीलामी तंत्र में संलग्न नहीं होगा, उसे बढ़ावा नहीं देगा या उससे संबद्ध नहीं होगा, या कोई भी अनुचित व्यापार प्रथा नहीं अपनाएगा जो मसाला बोर्ड द्वारा विनियमित नीलामी प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता या अखंडता को प्रभावित कर सकती है।

5. अनुलग्नक II.12 और अनुलग्नक V: घोषणा और वचनबद्धता (नवीनीकरण और नए आवेदन के लिए अलग-अलग प्रारूप। तदनुसार अनुलग्नक V की घोषणा और वचनबद्धता के प्रारूप में परिवर्तन किए जाने हैं)
प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ एक स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा, जिस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों, और यह निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए, जैसा कि नीचे लागू होता है:

क. मौजूदा नीलामीकर्ता लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदक

मौजूदा नीलामीकर्ता लाइसेंस के नवीनीकरण के इच्छुक प्रत्येक आवेदक को यह घोषित करना होगा कि:

- आवेदक सभी लागू वैधानिक, वित्तीय, कराधान और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान भी इनका अनुपालन जारी रखेगा;
- आवेदन और सहायक दस्तावेजों में दी गई सभी जानकारी सत्य, पूर्ण और विश्वसनीय है।

यह भ्रामक नहीं है, और कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए नहीं गए हैं;

- किसान/विक्रेता निधि का उपयोग असंबंधित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा;
- नीलामी संचालन से संबंधित अलग-अलग लेखा-पुस्तकों का रखरखाव किया जाएगा;
- आवेदक के खिलाफ जानबूझकर चूक करने की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है;
- आवेदक स्पाइसेस बोर्ड या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी एजेंसी द्वारा वित्तीय सत्यापन, निरीक्षण या लेखापरीक्षा के लिए सहमति देता है;

- आवेदक को इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 के प्रावधानों और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करना जारी रखना होगा।

ख. नए नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदक

नए नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक को, ऊपर निर्दिष्ट घोषणाओं के अतिरिक्त, यह भी घोषित करना होगा कि:

- हितों का कोई टकराव नहीं है, जिसमें किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त नीलामीकर्ता या किसी ऐसी संस्था के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व, नियंत्रण या संबंध शामिल है, जो इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता वाले किसी भी निजी या अनियमित नीलामी तंत्र में संलग्न है।
- आवेदक अधिसूचना और इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 के तहत निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है।

उपरोक्त संशोधनों को छोड़कर, दिनांक 15.07.2026 की अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे और लागू रहेंगे।

एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **13/09/2026** है।

प्रभारी निदेशक (विपणन)
DIRECTOR (MARKETING) I/C
स्पाइसेस बोर्ड / SPICES BOARD
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India
कोच्ची / KOCHI - 682025